भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 56
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नल से जल की आपूर्ति

†*56 श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 24x7 निर्बाध नल जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) भुगतान से पहले बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ता की जांच के लिए तीसरे पक्ष द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पानी के नमूनों की कितनी बार जांच की गई और इससे संबंधित डेटा क्या है;
(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पानी के नमूनों की जांच के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है और पानी की जांच के लिए निर्धारित दर का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और बिहार में, जल जीवन मिशन को लागू करने में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *56 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी में लागू किए जा रहे जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। 24X7 आपूर्ति सहित जल सेवा प्रदायगी अथवा अन्यथा की अनुसूची का निर्णय राज्यों/ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है। ऐसे ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

देश के शहरी क्षेत्रों के लिए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत, अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 23,732.28 करोड़ रुपये की लागत वाली 397 नल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिहार में 3,232.73 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 परियोजनाएं और महाराष्ट्र में 5,477.13 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित नल से पेयजल परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतिम भुगतान करने से पहले अवसंरचना की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) का पैनल बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब तक, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने टीपीआईए को पैनल में शामिल किया है। इन टीपीआईए द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, सूचना देने, निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्लूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 75 लाख से अधिक पानी के नमूनों (92.36% गांवों से) का परीक्षण किया गया है और फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके 108.54 लाख से अधिक जल नमूनों (72.30% गांवों से) का परीक्षण किया गया है। दिनांक 22.11.2024 तक, वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक प्रयोगशालाओं में 48.25 लाख से अधिक नमूनों (84.89% गांवों से) और एफटीके का उपयोग करके 69.33 लाख नमूनों (56.54% गांवों से) का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान प्रयोगशालाओं में और फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके परीक्षण किए गए नमूनों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अब तक, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,160 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। पीने योग्य पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नाममात्र दर पर अपने जल का परीक्षण कराने के लिए आम जनता के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं। सुझाई गई दरें **अनुबंध-IV** में दी गई हैं।

(ङ) राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, वैधानिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका राज्यों को मिशन के कार्यान्वयन में सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे माल विशेष रूप से डीआई/एचडीपीई पाइपों की अल्प उपलब्धता ने भी महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य ने सूचित किया है कि पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन में मुकदमेबाजी की चुनौतियों के कारण राज्य में जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है।

*****

अनुबंध-I

28.11.24 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत राज्य-वार नल से पेयजल परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या	लागत (₹ करोड़)
1	आंध्र प्रदेश	13	1092.86
2	अरुणाचल प्रदेश	2	33.78
3	असम	16	547.13
4	बिहार	22	3232.73
5	चंडीगढ़	2	60.00
6	छत्तीसगढ	8	136.00
7	गुजरात	4	361.04
8	हिमाचल प्रदेश	11	216.58
9	जम्मू एवं कश्मीर	1	4.54
10	कर्नाटक	61	2349.39
11	केरल	10	80.77
12	मध्य प्रदेश	23	3634.31
13	महाराष्ट्र	26	5477.13
14	मणिपुर	1	27.90
15	मेघालय	1	121.00
16	मिजोरम	1	16.00
17	ओडिशा	48	463.90
18	पुदुचेरी	1	12.65
19	पंजाब	3	45.26
20	राजस्थान	41	990.67
21	सिक्किम	1	26.30
22	तमिलनाडु	16	2263.47
23	तेलंगाना	1	217.00
24	उत्तर प्रदेश	57	1278.06
25	उत्तराखंड	1	10.01
26	पश्चिम बंगाल	26	1033.81
कुल		**397**	**23732.28**

अनुबंध-II

28.11.24 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2024-25 (22/11/2024 तक) के दौरान प्रयोगशालाओं में और फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके परीक्षण किए गए जल नमूनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गांवों की संख्या	प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण			एफटीके का उपयोग करके गुणवत्ता परीक्षण		
			परीक्षित जल नमूनों की संख्या	परीक्षण की सूचना देने वाले गांवों की संख्या	परीक्षित गांवों का %	परीक्षित जल नमूनों की संख्या	परीक्षण की सूचना देने वाले गांवों की संख्या	परीक्षित गांवों का %
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	456	54	20.38	16	2	0.75
2.	आंध्र प्रदेश	15,999	3,88,345	14,995	93.72	2,14,060	11,741	73.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,133	13,444	2,702	52.64	8,013	1,386	27.00
4.	असम	24,204	1,66,620	22,185	91.66	5,72,588	20,564	84.96
5.	बिहार	36,953	1,56,891	25,981	70.31	1,223	234	0.63
6.	छत्तीसगढ़	19,656	79,621	12,042	61.26	1,52,353	15,230	77.48
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	96	-	-	-	177	14	14.58
8.	गोवा	373	8,129	373	100.00	-	-	-
9.	गुजरात	18,024	38,122	8,168	45.32	2,53,635	16,678	92.53
10.	हरियाणा	6,600	37,484	3,557	53.89	2,241	526	7.97
11.	हिमाचल प्रदेश	17,659	1,50,110	16,538	93.65	79,612	12,540	71.01
12.	जम्मू एवं कश्मीर	6,153	1,51,062	6,065	98.57	409	93	1.51
13.	झारखंड	29,398	1,35,766	27,595	93.87	6,31,128	28,159	95.79
14.	कर्नाटक	26,432	1,89,315	22,961	86.87	5,48,146	25,640	97.00
15.	केरल	1,435	3,79,656	1,378	96.03	396	25	1.74
16.	लद्दाख	240	7,985	240	100.00	503	137	57.08
17.	लक्षद्वीप	10	4,567	9	90.00	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	51,011	3,32,252	45,581	89.36	3,03,385	35,651	69.89
19.	महाराष्ट्र	40,289	3,19,509	36,889	91.56	3,04,051	34,088	84.61
20.	मणिपुर	2,556	14,198	2,531	99.02	8,162	777	30.40
21.	मेघालय	6,457	27,484	5,039	78.04	11,753	2,687	41.61
22.	मिजोरम	637	12,650	572	89.80	2,410	130	20.41
23.	नागालैंड	1,425	3,965	1,300	91.23	12,586	1,173	82.32
24.	ओडिशा	46,422	1,80,818	40,675	87.62	1,99,714	15,409	33.19
25.	पुदुचेरी	91	214	30	32.97	14	9	9.89
26.	पंजाब	11,977	38,941	11,570	96.60	1,01,192	11,064	92.38
27.	राजस्थान	41,917	1,26,786	25,347	60.47	66,439	13,006	31.03
28.	सिक्किम	400	3,908	231	57.75	5,663	359	89.75
29.	तमिलनाडु	11,816	6,28,193	11,756	99.49	26,684	1,526	12.91
30.	तेलंगाना	9,586	1,69,939	8,078	84.27	-	-	-
31.	त्रिपुरा	765	51,514	761	99.48	23,651	443	57.91
32.	उत्तर प्रदेश	97,090	6,28,510	89,461	92.14	32,00,539	76,726	79.03
33.	उत्तराखंड	14,967	74,193	14,878	99.41	1,469	496	3.31
34.	पश्चिम बंगाल	38,173	3,05,134	36,413	95.39	2,01,208	3,814	9.99
कुल		**5,84,209**	**48,25,781**	**4,95,955**	**84.89**	**69,33,420**	**3,30,327**	**56.54**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रयोगशालाओं में और फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके परीक्षण किए गए जल नमूनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गांवों की संख्या	प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण			एफटीके का उपयोग करके गुणवत्ता परीक्षण		
			परीक्षित जल नमूनों की संख्या	परीक्षण की सूचना देने वाले गांवों की संख्या	परीक्षित गांवों का %	परीक्षित जल नमूनों की संख्या	परीक्षण की सूचना देने वाले गांवों की संख्या	परीक्षित गांवों का %
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	984	180	67.92	351	40	15.09
2.	आंध्र प्रदेश	15,996	6,99,999	15,689	98.08	4,64,831	15,145	94.68
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,112	39,238	4,641	90.79	33,490	3,616	70.74
4.	असम	24,146	2,97,405	23,674	98.05	12,14,852	20,512	84.95
5.	बिहार	36,419	1,60,783	25,326	69.54	49,736	6,047	16.60
6.	छत्तीसगढ़	19,641	1,23,175	16,096	81.95	2,97,229	18,103	92.17
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	96	0	0	-	3,060	24	25.00
8.	गोवा	373	10,336	371	99.46	22	13	3.49
9.	गुजरात	17,961	1,53,057	16,503	91.88	2,92,444	16,809	93.59
10.	हरियाणा	6,500	69,702	5,232	80.49	37,996	5,910	90.92
11.	हिमाचल प्रदेश	17,272	2,20,428	16,576	95.97	1,47,982	15,641	90.56
12.	जम्मू एवं कश्मीर	5,584	2,53,364	5,580	99.93	34,793	628	11.25
13.	झारखंड	29,210	2,14,431	28,814	98.64	7,85,488	27,796	95.16
14.	कर्नाटक	26,081	2,66,532	25,639	98.31	2,15,742	21,757	83.42
15.	केरल	1,409	6,36,043	1,406	99.79	2,27,651	690	48.97
16.	लद्दाख	240	7,706	235	97.92	1,809	233	97.08
17.	लक्षद्वीप	10	6,880	10	100.00	475	10	100.00
18.	मध्य प्रदेश	50,919	5,74,409	49,080	96.39	6,56,077	42,501	83.47
19.	महाराष्ट्र	40,199	6,42,396	39,614	98.54	2,46,187	32,622	81.15
20.	मणिपुर	2,550	17,413	2,545	99.80	16,352	1,171	45.92
21.	मेघालय	6,457	51,836	5,943	92.04	17,172	3,743	57.97
22.	मिजोरम	637	29,224	630	98.90	7,381	261	40.97
23.	नागालैंड	1,425	7,947	1,331	93.40	20,249	1,363	95.65
24.	ओडिशा	46,422	2,60,445	45,121	97.20	4,02,332	40,834	87.96
25.	पुदुचेरी	91	818	80	87.91	-	-	-
26.	पंजाब	11,863	33,107	11,461	96.61	1,46,504	11,078	93.38
27.	राजस्थान	41,917	1,98,476	32,979	78.68	3,64,778	32,529	77.60
28.	सिक्किम	400	15,527	396	99.00	9,566	390	97.50
29.	तमिलनाडु	11,560	8,48,706	11,560	100.00	9,12,785	11,560	100.00
30.	तेलंगाना	9,458	2,91,673	9,458	100.00	1	1	0.01
31.	त्रिपुरा	765	50,701	736	96.21	61,371	714	93.33
32.	उत्तर प्रदेश	96,712	6,23,246	87,793	90.78	35,89,028	72,553	75.02
33	उत्तराखंड	14,861	1,19,958	14,837	99.84	34,975	4,750	31.96
34.	पश्चिम बंगाल	38,173	5,74,096	36,998	96.92	5,61,487	10,813	28.33
कुल		**5,80,724**	**75,00,041**	**5,36,534**	**92.39**	**1,08,54,196**	**4,19,857**	**72.30**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध- III

28.11.24 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण (22/11/2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या			
		राज्य	क्षेत्रीय/जिला	ब्लॉक/उप-मंडल/मोबाइल	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	3	7	11
2.	आंध्र प्रदेश	1	26	85	112
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	20	17	38
4.	असम	1	34	48	83
5.	बिहार	1	38	84	123
6.	छत्तीसगढ़	1	29	45	75
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	2	-	2
8.	गोवा	1	-	14	15
9.	गुजरात	1	33	46	80
10.	हरियाणा	1	21	22	44
11.	हिमाचल प्रदेश	1	14	61	76
12.	जम्मू एवं कश्मीर	2	20	76	98
13.	झारखंड	1	24	6	31
14.	कर्नाटक	5	31	48	84
15.	केरल	4	14	71	89
16.	लद्दाख	-	2	6	8
17.	लक्षद्वीप	-	-	9	9
18.	मध्य प्रदेश	1	51	103	155
19.	महाराष्ट्र	-	34	144	178
20.	मणिपुर	1	12	-	13
21.	मेघालय	1	11	18	30
22.	मिजोरम	1	8	18	27
23.	नागालैंड	1	11	-	12
24.	ओडिशा	1	30	46	77
25.	पुदुचेरी	-	2	-	2
26.	पंजाब	1	23	9	33
27.	राजस्थान	2	32	20	54
28.	सिक्किम	1	1	-	2
29.	तमिलनाडु	1	37	75	113
30.	तेलंगाना	1	19	56	76
31.	त्रिपुरा	1	8	12	21
32.	उत्तर प्रदेश	1	75	62	138
33.	उत्तराखंड	1	13	13	27
34.	पश्चिम बंगाल	2	23	199	224
कुल		**39**	**701**	**1,420**	**2,160**

अनुबंध- IV

गुणवत्ता संबंधी मापदंडों के लिए जल नमूनों के परीक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सुझाई गई दरें

(दर रुपये में)

क्र.सं.	मापदंड	व्यक्तिगत दर	पैकेज दर
1.	गंध	1	50
2.	रंग	1	
3.	पीएच	1	
4.	कुल विलयित ठोस	1	
5.	गंदलापन	5	
6.	कुल क्षारीयता	20	
7.	कुल कठोरता	20	
8.	अवशिष्ट क्लोरीन	1	
9.	क्लोराइड	50	50
10.	सल्फेट	50	50
11.	आयरन	50	50
12.	कुल आर्सेनिक	100	100
13.	फ्लोराइड	50	50
14.	नाइट्रेट	50	50
15.	कुल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया	100	100
16.	ई. कॉलि या थर्मोटोलरेंट कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया	100	100
	कुल	**600**	**600**